सीएम दावोस में निवेशकों को देंगे न्यौता

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यटन क्षेत्र पर केंद्रित सत्र को संबोधित करेंगे डॉ. मोहन यादव

13.30 करोड़ से अधिक पर्यटकों का प्रदेश में हुआ आगमन

6.5 करोड़ श्रद्धालु आए श्री महाकालेश्वर मंदिर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूर्ण होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को दावोस के लिये रवाना हो गये. यहां वे बुधवार 21 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यटन क्षेत्र में निवेश केंद्रित सत्र को संबोधित करेंगे और दुनियाभर के निवेशकों को मप्र में पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं से रूबरू कराते हुए उन्हें निवेश के लिये न्यौता देंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास भी, विरासत भी, के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश ने पर्यटन को समावेशी और सतत विकास के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया है. इसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में प्रदेश में 13.30 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है, जो मध्यप्रदेश के प्रति बढ़ते राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है.

आध्यात्मिक पर्यटन मध्यप्रदेश की प्रमुख पहचान के रूप में स्थापित हुआ है. उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में 6.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है. इसके साथ ही खजुराहो, सांची, ओरछा, महेश्वर, अमरकंटक और चित्रकूट जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल देश-विदेश के पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र बने हुए हैं.

राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति-2025 एवं फिल्म पर्यटन नीति-2025 के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और सतत पर्यटन विकास को नई दिशा दी गई है. फिल्म पर्यटन नीति-2025 के तहत मप्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, जिससे स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल

ग्रामीण पर्यटन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के 81 गांवों में 370 से अधिक होमस्टे विकसित किए गए हैं, जिन्हें 1000 तक विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष आय और रोजगार उपलब्ध करा रही है. बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर सहित 18 राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में प्रदेश के 4 धरोहर स्थलों का शामिल होना और देश की 69 यूनेस्को धरोहरों में से 15 का मध्यप्रदेश में स्थित होना प्रदेश की वैश्विक पर्यटन क्षमता और प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करता है. मप्र आज पर्यटन, परंपरा और प्रगति के संगम के साथ वैश्विक निवेशकों और पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है.

रक्षा मंत्री राजनाथ से उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने की सौजन्य भेंट

भोपाल 20 जनवरी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर सारगर्भित चर्चा हुई. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रक्षा मंत्री के दीर्घकालिक सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन के अनुभवों से मार्गदर्शन प्राप्त किया. उन्होंने देशहित से जुड़े विषयों पर रक्षा मंत्री के विचारों को प्रेरणादायी बताया.

बिना वीजा भारत में रहने का कोई हक नहीं : हाईकोर्ट

अफगानी युवक को झटका, याचिका खारिज

जबलपुर, मप्र हाईकोर्ट ने अफगानी युवक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें युवक ने वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में भारत से लीव इंडिया नोटिस को चुनौती दी थी. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में कहा है कि बिना वीजा भारत में रहने का कोई हक आवेदक को नहीं है.

अफगानी युवक सैयद राशिद वर्ष 2019 में वीजा पर भारत आया था और भोपाल के एक निजी विश्वविद्यालय में रहकर एमए की पढ़ाई कर रहा था. कोरोना काल के कारण उसे वीजा विस्तार मिला और 2022 में उसने कोर्स पूरा भी कर लिया. इसके साथ ही राशिद ने छात्र वीजा रहते हुए विश्वविद्यालय में नौकरी भी शुरू कर दी, जबकि उसका रोजगार वीजा कभी स्वीकृत नहीं हुआ था.इस मामले में प्रक्रियाओं के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा.

नितिन की ताजपोशी, मप्र में भाजपा ने मनाया उत्सव

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 जनवरी. भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार ग्रहण करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दीं. इधर प्रदेश भाजपा कार्यालय और सभी जिला कार्यालयों में उत्सव मनाया गया व आतिशबाजी की गई.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान श्री नितिन नबीन को सौंपा जाना यह दर्शाता है कि भाजपा अपने भविष्य को युवा, ऊर्जावान, दूरदर्शी और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेतृत्व के हाथों में सुरक्षित देख रही है. यह निर्णय भाजपा के मजबूत संगठन, अनुशासन व विचारनिष्ठ राजनीति का प्रतीक है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नबीन के संगठन कौशल से पार्टी सफलता के नए शिखर तक पहुंचेगी. पार्टी के लिए संगठन पर्व केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है.

श्री नबीन के पदभार ग्रहण के अवसर पर भोपाल में प्रदेश कार्यालय में उत्साह और उल्लास के साथ आतिशबाजी एवं मिष्ठान वितरण कर उत्सव मनाया गया. इस दौरान प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. पार्टी के जिला मुख्यालयों पर भी इसी तरह के आयोजन हुए.

26 जनवरी तक एयर इंडिया की दोपहर दिल्ली उड़ानें रद्द

एयर शो के कारण उड़ानें प्रभावित

इंदौर. गणतंत्र दिवस पर एयर शो की तैयारियों के कारण दिल्ली एयरपोर्ट बुधवार 21 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक बंद रहेगा. इसका असर सीधे इंदौर दिल्ली रूट पर पड़ेगा.

एयर इंडिया ने इस दौरान अपनी दोपहर की दिल्ली उड़ानें रद्द कर दी हैं. इंदौर से दोपहर 12.10 बजे दिल्ली जाने और 12.40 बजे वापस लौटने वाली फ्लाइट संचालित नहीं होगी.

सामान्य दिनों में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली इंदौर के लिए रोजाना छह उड़ानें होती हैं. लेकिन 25 और 26 जनवरी को केवल दो ही उड़ानों की बुकिंग उपलब्ध है, यानी इन दो दिनों में रोजाना चार उड़ानें रद्द रहेंगी. एयर इंडिया की वेबसाइट पर 21 से 26 जनवरी तक के लिए बुकिंग बंद कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि इंडिगो और अन्य एयरलाइंस भी इस दौरान कुछ उड़ानें रद्द कर सकती हैं.

25 डिसमिल की जगह 30 डिसमिल दर्ज, जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ी का आरोप

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 20 जनवरी ।जिले के माड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम सखौहा में जमीन रजिस्ट्री के दौरान गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है।

पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि रजिस्ट्री में वास्तविक रकबे से अधिक भूमि दर्ज कर दी गई, जिससे आर्थिक व कानूनी नुकसान की आशंका बढ़ गई है। इस संबंध में पीड़ित सतीश प्रसाद जायसवाल ने कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायती आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार ग्राम सखौहा निवासी पीड़ित ने 25 डिसमिल भूमि का क्रय-विक्रय किया था। रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों में कथित तौर पर 25 डिसमिल के स्थान पर 30 डिसमिल भूमि दर्ज कर दी गई। आरोप है कि यह त्रुटि रजिस्ट्री कार्यालय स्तर पर लापरवाही अथवा मिलीभगत के कारण हुई। पीड़ित का कहना है कि रजिस्ट्री के समय तय शर्तों के अनुसार कुल 1.50 लाख की राशि देय थी, किंतु रकबे में बढ़ोतरी दर्ज होने से भविष्य में विवाद और अतिरिक्त भुगतान का दबाव बन सकता है। शिकायत में संबंधित पटवारी, रजिस्ट्री कर्मियों और अन्य जिम्मेदारों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही रजिस्ट्री दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक रकबे के अनुरूप सुधार किए जाने की अपील की गई है।

जमीन विवाद में परिवार को जान से मारने की धमकी

सिंगरौली 20 जनवरी । चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम नटवार में जमीन विवाद को लेकर एक परिवार को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित ने तहसील एवं थाना स्तर पर आवेदन देकर त्वरित जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम नटवार निवासी पीड़ित लालमणि बैस का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उनकी पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर आरोपीगण लगातार धमकी दे रहे हैं कि यदि जमीन नहीं छोड़ी गई तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित का कहना है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और पहले भी विवाद की स्थिति बन चुकी है। पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन में उल्लेख है कि 4 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पटवारी पर गंभीर आरोप, रजिस्ट्री के नाम पर लिए 20 हजार रुपये अब तक नहीं लौटाए

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 20 जनवरी । जिले के तहसील क्षेत्र सिंगरौली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तत्कालीन हल्का पटवारी पर रजिस्ट्री कराने के नाम पर 20 हजार रुपये लेने और लंबे समय बाद भी रकम व मूल दस्तावेज वापस न करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने इस संबंध में कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम-शासन, वृत्त-शासन निवासी रामनुज शाह पिता स्व. रामबिशाल शाह उम्र 57 वर्ष ने अपने आवेदन में बताया कि वर्ष 2023 में उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तत्कालीन हल्का पटवारी उमेश जायसवाल से संपर्क किया था। पटवारी द्वारा रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिलाते हुए 20 हजार रुपये नगद तथा दो नग मूल रजिस्ट्री दस्तावेज ले लिए गए थे। पीड़ित के अनुसार यह राशि पटवारी की मांग पर दी गई थी । आवेदन में उल्लेख है कि तय समय बीत जाने के बावजूद न तो रजिस्ट्री कराई गई और न ही दी गई रकम वापस की गई। जब पीड़ित ने बार-बार संपर्क करने का प्रयास किया तो आरोपी पटवारी फोन उठाना बंद कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल यह उठ रहा है कि यदि एक आम नागरिक के साथ सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो प्रशासन की जवाबदेही क्या है। पीड़ित ने कलेक्टर से मांग की है कि आरोपी तत्कालीन पटवारी के खिलाफ जांच कराकर 20 हजार रुपये एवं दो नग मूल रजिस्ट्री दस्तावेज वापस दिलाए जाएं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता से कदम उठाता है।

सिंगरौली में महिला की सुरक्षा पर सवाल सोहन लाल पर गंभीर आरोप

रात में घर में घुसकर मारपीट, लाइट तार काटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 20 जनवरी । जिले के बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उसका से महिला सुरक्षा को लेकर चिंताजनक मामला सामने आया है। पीड़िता शंकुतला पनिका ने कलेक्टर को दिए आवेदन में गांव के ही सोहन लाल पनिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता के अनुसार आरोपी आए दिन देर रात उसके घर में जबरन घुस आता है, गाली-गलौज करता है और मारपीट पर उतारू हो जाता है।

विरोध करने पर वह लाइट का तार काट देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर घर में घुसने का प्रयास करता है। आरोप है कि सोहन लाल द्वारा कई बार पत्थर फेंके गए और बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता का कहना है कि वह घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं है और आरोपी लगातार पीछा करता है, जिससे वह मानसिक रूप से भयभीत है।

पीड़िता ने बताया कि 3 जून 2025 और 7 दिसंबर 2025 को बरगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने जिला प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मामले ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

एनसीएल एनएससी में अंतर क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 20 जनवरी । एनसीएल के एनएससी में अंतर क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ हुआ। 19 जनवरी से 23 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में एनसीएल की सभी परियोजना एवं इकाइयों से 12 टीमों से 192 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।

शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीएमएस, एनसीएल डॉ. विवेक खरे, सीएमएस, एनएससी, डॉ. पंकज, परियोजना जेसीसी सदस्य, एनसीएल स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड मेम्बर्स, परियोजना से विभागाध्यक्षगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

अंतर क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 लीग कम नॉकआउट के आधार पर खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच आगामी दिन शुक्रवार को खेला जाएगा।

गौशाला के नाम पर 8.50 करोड़ की ठगी

ग्वालियर. भितरवार में मंगलवार की शाम बड़ी कार्रवाई हुई. गौशाला के नाम पर 8.50 करोड़ की ठगी के मामले में ग्राम पंचायत बडेरा भारस के जुझारपुर में श्रीकृष्ण गौशाला को संचालित करने वाले विमला कपूर चैरिटेबल ट्रस्टट्रस्ट के संचालक हरि शरण दास बाबा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस जुझारपुर गौशाला पहुंची. दिल्ली में यह मामला दर्ज किया गया था.

आबकारी नीति तय करने कैबिनेट कमेटी गठित

भोपाल. राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के निर्धारण, उससे संबंधित अनुषांगिक विषयों पर समय-समय पर निर्णय लेने तथा आगामी वर्षों के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उदय प्रताप सिंह मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा तथा श्रीमती सम्पतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. कमेटी के सचिव प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर होंगे. कमेटी द्वारा आबकारी नीति 2026-27 को अंतिम रूप देने के साथ-साथ संबंधित विषयों पर निर्णय लेकर आगामी वर्षों के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे.

प्लाट बेचना है

210 × 50 का प्लाट बेचना है टुकडे में भी उपलब्ध है। पी.टी.एस. चौक से न्यू स्टैंड वाली रोड से 100 फीट अन्दर सम्पर्क 6265855274

नाम सुधार सूचना

मै बब्लू सिंह पिता श्री तेजबली सिंह निवासी कृष्णनगर सतना महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड नं.42 जिला सतना म.प्र. का होकर सूचित कर रहा हूं कि मेरा आधार कार्ड नं.962343333576 है जिसमें मेरा नाम राजेन्द्र प्रताप दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि सही नाम बब्लू सिंह है जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र में दर्ज है. अतः मेरे आधार कार्ड में दर्ज नाम राजेन्द्र प्रताप के स्थान पर सही नाम बब्लू सिंह दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

नाम सुधार सूचना

मै अरुण कुमार गर्ग निवासी पौराणिक टोला पोस्ट बगहा जिला सतना (म.प्र.) का होकर सूचित कर रहा हूं कि मेरी पुत्री का सही नाम जान्वी गर्ग है जो उसके आधार कार्ड व अंकसूची में दर्ज है लेकिन उसके जन्म प्रमाण पत्र में गौरी गर्ग उर्फ जान्वी गर्ग दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि सही नाम जान्वी गर्ग है. अतः मेरे पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नाम गौरी गर्ग उर्फ जान्वी गर्ग के स्थान पर केवल जान्वी गर्ग दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

समक्ष श्रीमान नोटरी महोदय, जिला एवं सत्र न्यायालय बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.)

आपसी समझौता पत्र

छोटेलाल शाह पिता स्व. कंचन प्रसाद शाह, उम्र-49 वर्ष, निवासी ग्राम-मुहेर, वार्ड नं. 02, पोस्ट-गोरबी, थाना-मोरवा, स्थायी पता ग्राम-गनियारी, वार्ड नं. 41, पोस्ट व थाना-बैढ़न, तहसील सिंगरौली (नगर) जिला सिंगरौली (म.प्र.)
आधार नं. 9277 7195 9146 .....प्रथमपक्ष

राजेश कुमार साकेत पिता श्री रामकिसुन साकेत, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम-मुहेर, वार्ड नं. 02, पोस्ट-गोरबी, थाना-मोरवा, स्थायी पता ग्राम-भाड़ी, पोस्ट-खुटार, थाना-बैढ़न, तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.) आधार नं. 4964 6378 9116 .....द्वितीयपक्ष

आज दिनांक 19.01.2026 को यह आपसी समझौता पत्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हेतु हम उभयपक्षों के मध्य निम्नांकित आधारों पर निष्पादित कराया जा रहा है:-

(1) यह कि हम उभयपक्ष उपरोक्त पते के निवासी है तथा पार्टनरशिप फर्म एक्सेस बिल्डर्स इन्डस्ट्रीज, पता प्लाट नं. 341, ग्राम-गनियारी, पोस्ट व थाना-बैढ़न, तहसील सिंगरौली (नगर) जिला-सिंगरौली (म.प्र.) नामक फर्म के पार्टनर/भागीदार/संस्थापक है। (2) यह कि दिनांक 13.12.2018 को भूमि आराजी नं. 244/1 कुल रकवा 1.3390 हे. में से 0.9390 हे. स्थित ग्राम देवरा, पटवारी हल्का बिलौंजी तेलियान, जिला-सिंगरौली की भूमि को रामकरण प्रसाद साकेत पिता रामऔतार उर्फ औतार साकेत व 25 अन्य निवासी ग्राम देवरा के द्वारा हम उभयपक्ष के उक्त फर्म के नाम रजिस्ट्री कराया गया है। उक्त फर्म के पार्टनर छोटेलाल शाह और राजेश कुमार साकेत एवं उक्त रामकरण प्रसाद साकेत व 25 अन्य के मध्य आपसी समझौता पत्रों का निष्पादन रामकरण प्रसाद साकेत द्वारा कराया गया है, जिसकी मूल प्रति एवं शेष राशि का चेक पूर्व भूमिस्वामियों के पास है। (3) यह कि हम उभयपक्ष उक्त फर्म के नाम से क्रय की गई भूमि खसरा क्र. 244/1 कुल रकवा 0.9390 हे. में से 0.4000 हे. भूमि को भागिता विलेख संशोधन दिनांक 27.03.2023 का उल्लंघन करते हुए साजिस के तहत दिनांक 31.03.2024 को द्वितीयपक्ष एवं बिना फर्म दस्तावेज के ही दिलीप कुमार शाह पिता स्व. राममिलन शाह, निवासी ग्राम-बिलौंजी वार्ड नं. 42, तहसील सिंगरौली नगर, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) को रजिस्ट्री कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में उभयपक्ष एवं पूर्व भूमिस्वामियों के रामकरण प्रसाद साकेत व 25 अन्य के द्वारा शपथ पत्रों एवं समझौता पत्रों का निष्पादन कराया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया है, जिसकी अभिस्वीकृति इस विलेख के माध्यम से दी जा रही है। (4) यह कि उभयपक्ष द्वारा उक्त रजिस्ट्री दिनांक 31.03.2024 को शून्य घोषित किये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान् ब्यवहार न्यायाधीश महोदय वरिष्ठ खण्ड बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त उभयपक्ष एवं दिलीप कुमार शाह पिता स्व. राममिलन शाह के साथ समझौता नही किया जायेगा। (5) यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा उक्त रजिस्ट्री दिनांक 31.03.2024 को शून्य घोषित किये जाने हेतु न्यायालय में अलग से वाद प्रस्तुत किया जाता है तो प्रथमपक्ष द्वारा वाद पत्र को स्वीकार कर निष्पादित शपथ पत्रों, समझौता पत्रों एवं उक्त फर्म से सम्बन्धित प्रकाशन किये गये, दस्तावेजों का उल्लंघन नही किया जायेगा, अगर प्रथमपक्ष द्वारा उल्लंघन किया भी जाता है तो वह झूठा व निराधार माना जायेगा। जिसकी अभिस्वीकृति इस विलेख के माध्यम से दी जा रही है। (6) यह कि उभयपक्ष के उक्त फर्म एक्सेस बिल्डर्स इन्डस्ट्रीज द्वारा भूमि पंजीयन दिनांक 13.12.2018 के पूर्व ही चेक क्र. 121281 से लगायत 121306 तक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बैढ़न का रामकरण प्रसाद साकेत व 25 अन्य को 26 नग चेक दिया गया था। अपने स्वेच्छा से रामकरण प्रसाद साकेत व 24 अन्य द्वारा चेक वापस कर दिया गया है, क्योकि राशि नगद व खातो के माध्यम से उक्त फर्म के पार्टनरों द्वारा दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्रों एवं समझौता पत्रों का निष्पादित कराकर समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया है एवं पूर्व भूमिस्वामी के विक्रेता क्र. 20 बुद्धिमान शाह का चेक क्र. 121302 एवं विक्रेता क्र. 21 का चेक क्र. 121383 है। उक्त बुद्धिमान शाह द्वारा एक अपना एवं एक अपने बहन रिंकी शाह के चेक में अपना नाम डालकर न्यायालय में चेक बाउंस का केश किया गया है, जो विचाराधीन है। (7) यह कि यह समझौता पत्र उभयपक्ष पर पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। लिहाजा यह आपसी समझौता पत्र हम उभयपक्ष अपने-अपने शुद्ध चित्त व स्थिर बुद्धि से दो भले गवाहो के समक्ष लिखा दिये व अभिप्रमाणित करा दिये कि प्रमाण रहे वक्त जरूरत पर काम आये।, बैढ़न/दिनांक:- 19/01/2026

हस्ता. प्रथमपक्ष..... **हस्ता. द्वितीयपक्ष.....**

प्रमाण पत्र

निवासी ग्राम कठास आवेदक देवनंदन सिंह पिता स्वर्गीय दिनदयाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, सरपंच का सजरा, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति एवं हल्का पटवारी प्रतिवेदन/पंचनामा में लेख है कि आवेदक की माता पनाऊ पति स्वर्गीय दिनदयाल सिंह की दिनांक 24/10/2003 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक पनाऊ पति स्वर्गीय दिनदयाल सिंह के विधिक वारिस/आश्रित/सजरा सदस्य देवनंदन सिंह (पुत्र),शिवनंदन सिंह (पुत्र), रघुनंदन (पुत्र), गुड्डी (पुत्री), मुन्नी (पुत्री), शांति (पुत्री), मायावती (पुत्री) मौजूद हैं। आवेदक/आवेदिका के अनुरोध पर एनसीएल हेतु जारी किया गया। यदि आवेदक/आवेदिका पक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो यह प्रमाण पत्र स्वयं निरस्त माना जाएगा एवं उक्त की संपूर्ण जवाबदारी आवेदक/आवेदिका पक्ष की होगी।

प्रमाण पत्र

निवासी ग्राम कठास आवेदक विश्राम सिंह पिता स्वर्गीय रामबदन सिंह के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, सरपंच का सजरा, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति एवं हल्का पटवारी प्रतिवेदन/पंचनामा में लेख है कि आवेदक की माता सुकवरिया पति स्वर्गीय राम बदन सिंह की दिनांक 12/01/2009 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक सुकवरिया पति स्वर्गीय राम बदन सिंह के विधिक वारिस /आश्रित/सजरा सदस्य विश्राम सिंह (पुत्र), दूधनाथ सिंह (पुत्र), जगजीवन सिंह (पुत्र), परमेन्द्र सिंह (पुत्र), कौशल्या देवी (पुत्री), फूलमती गोड (पुत्री), पानमती सिंह (पुत्री), खुसबू (पुत्री), मौजूद हैं। आवेदक/आवेदिका के अनुरोध पर एनसीएल हेतु जारी किया गया। यदि आवेदक/आवेदिका पक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो यह प्रमाण पत्र स्वयं निरस्त माना जाएगा एवं उक्त की संपूर्ण जवाबदारी आवेदक/ आवेदिका पक्ष की होगी।

प्रमाण पत्र

निवासी ग्राम कठास आवेदक ठाकुरदयाल सिंह पिता प्रभु सिंह के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, सरपंच का सजरा, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति एवं हल्का पटवारी प्रतिवेदन/पंचनामा में लेख है कि आवेदक की माता कौसल्या पति स्वर्गीय प्रभु सिंह की दिनांक 02/01/2012 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक कौसल्या पति स्वर्गीय प्रभु सिंह के विधिक वारिस/आश्रित/सजरा सदस्य रामबदन सिंह (पुत्र), दिनदयाल सिंह (पुत्र), ठाकुरदायल सिंह (पुत्र), रामाधीन (पुत्र), लखरन देवी (पुत्री), फूलमती (पुत्री) मौजूद हैं। आवेदक/आवेदिका के अनुरोध पर एनसीएल हेतु जारी किया गया। यदि आवेदक/आवेदिका पक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो यह प्रमाण पत्र स्वयं निरस्त माना जाएगा एवं उक्त की संपूर्ण जवाबदारी आवेदक/आवेदिका पक्ष की होगी।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक/प्रवा./अपर कले./25 सतना दिनांक 23/12/2025

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक उदित केशरवानी पिता श्री कामता प्रसाद केशरवानी, उम्र 22 वर्ष (01/06/2003) स्थिति- अविवाहित व्यवसाय-दुकानदारी स्थायी निवासी-सीताराम पेट्रोल पम्प के पीछे, गली नं.03 सतना, थाना कोलगवां तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. पिन कोड-485001 एवं आवेदिका वैष्णवी गुप्ता पुत्री श्री गया प्रसाद गुप्ता (अविवाहित), उम्र-19 वर्ष (15/06/2006) स्थिति-अविवाहित व्यवसाय-गृहणी स्थायी निवासी-ग्राम-रमपुरवा वार्ड नं.10 समान, थाना बाणसागर, तहसील व्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.) पिन कोड-484774 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 22/12/2025 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 23/02/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 39./न.पा.नि./राजस्व/2025-26 रीवा, दिनांक 20/01/2026

अचल सम्पत्ति नामान्तरण विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा की आवासीय योजना क्रमांक 8 नेहरु नगर रीवा जो नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व में है, में स्थित भूखण्ड क्रमांक 2/20/472ए कुल क्षेत्रफल 1759.05 वर्गफिट श्री नागेन्द्रनाथ सिंह पिता स्व0 श्री सत्यदेव सिंह को 30 वर्षीय लीज पर आवंटित है, इनकी मृत्यु पश्चात, इस भूखण्ड का नामान्तरण श्रीमती नीता सिंह पति स्व0 श्री नागेन्द्रनाथ सिंह निवासी नेहरु नगर रीवा (म0प्र0) के नाम किये जाने हेतु दिनांक 23.10.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड क्रमांक 2/20/472ए, के नामान्तरण में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो, तो समाचार पत्रों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि तक कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा में प्रमाणित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आवेदन/आपत्ति न तो ग्रहण की जावेगी और न ही मान्य की जावेगी। तत्पश्चात् आवेदिका के आवेदन अनुसार भूखण्ड क्रमांक 2/20/472ए, का नामान्तरण श्री नागेन्द्रनाथ सिंह पिता स्व0 श्री सत्यदेव सिंह निवासी नेहरु नगर रीवा (म0प्र0) के नाम करने की कार्यवाही की जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम
रीवा. (म.प्र.)